



समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रं.- /पीबीआर/2017

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा/2017/4795

01. श्रीमति अनीता, आयु लगभग 44 वर्ष

पति श्री आलोक कुमार

02. अमीशा, आयु लगभग 18 वर्ष

आत्मजा श्री आलोक कुमार

दोनो निवासीगण-सराय मोहल्ला, पटना,

बिहार

.....आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमति तुलसी बाई

पति श्री सूरत सिंह

निवासी-ग्राम खजूरीकलां, तहसील हुजूर

जिला भोपाल

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 30.10.2017 अंतर्गत प्रकरण
क्रमांक-1/अपील/ 2016-17 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी महोदय एम.पी. नगर वृत भोपाल पक्षकारगण श्रीमति
तुलसीबाई विरुद्ध अनीता व अन्य

श्री राजकुमार धारवाला
अभिभाषक द्वारा 29/11/17
वा.प्र.रा. भोपाल
29/11

30.10.2017

अवेकगण की मांग से भी अतुल्य धार्मिक अभिमानक उपाख्यान श्रद्धाता पर सुना गया। अनुर्वमागीय आधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.2017 का अवकाश करने से स्पष्ट है कि अनुर्वमागीय

पक्षकारों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर

आधिकारी द्वारा प्रमाण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है। जबकि सरकारी की-घाट पर में दूधे सैशोवन के जवल्बव अपीवीय आधिकारी को प्रमाण प्रत्यावर्तित करने की आधिकारिक नही रह गई है। अतः अनुर्वमागीय आधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उभय पक्ष को युक्त प्रमाण का प्रपत्र स्वर से अंतिम निराकरण करें।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
अध्यास